तत्काल निर्गत/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ

1- तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र संख्याः डीजी-सात-एस-2-(5)/2013 दिनांकः मई 30 ,2013

सेवा में,

1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

3.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय- अपराध एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा हेतु प्रारूप।

अपराध एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा को तर्कसंगत एवं उपयोगी बनाने हेतु आवश्यक है कि इस समीक्षा का विकेन्द्रीकरण किया जाये। कुछ बिन्दुओं की समीक्षा पुलिस अधीक्षक स्तर पर, कुछ परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर पर, कुछ जोनल पुलिस महानिरीक्षक स्तर पर व मुख्य बिन्दुओं पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पर समीक्षा की जाय।

2. अतः विभिन्न स्तर पर समीक्षा हेतु बिन्दुवार प्रारूप निर्धारित किये जा रहे है:-

बिन्दु-ए - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी के कार्यो के मूल्यांकन हेतु 25 प्रारूप।

बिन्दु-बी - जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद /अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी के कार्यो के मूल्यांकन हेतु 27 प्रारूप।

बिन्दु-सी - पुलिस महानिदेशक द्वारा जोनल पुलिस महानिरीक्षक / परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद के कार्यो के मूल्यांकन हेतु 25 प्रारूप।

(2) **अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी के कार्य का मूल्यांकनः-**

(a)पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों के कार्यो का मूल्यांकन निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रत्येक माह करेंगे। क्षेत्राधिकारी अपने साथ एसआर पत्रावली व अपराध रजिस्टर भी लेकर आयेंगे। पुलिस अधीक्षक किन्ही पॉच एसआर पत्रावली और अपराध रजिस्टर का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करेंगे। तद्पोरान्त प्रत्येक अधिकारी के कार्यो पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जोनल पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को भेजेंगे। इस रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी को भी पृष्ठांकित करेंगे,

ताकि उस अधिकारी को यह ज्ञात हो कि किन कार्य क्षेत्र में उनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और किन जगह उन्हें सुधार की आवश्यकता है।

(b)जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी के कार्य की समीक्षा पुलिस अधीक्षक की उक्त समीक्षा रिपोर्ट और जनपद के सम्बन्ध में तैयार की गयी 25 प्रारूप की बुकलेट से की जायेगी।

(c)परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक से अपेक्षा की जायेगी कि वह अपने परिक्षेत्र के प्रत्येक अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी को 02 माह में कम से कम एक बार अपने समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलायेंगें। सम्बन्धित अधिकारी अपने साथ पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा इंगित कोई 05 एसआर पत्रावलियों तथा अपने क्षेत्र का अपराध रजिस्टर भी लेकर जायेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र 25 प्रारूप में बनायी गयी पुलिस अधीक्षक की बुकलेट, एसआर पत्रावलियों तथा अपराध रजिस्टर के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी का साक्षात्कार लेंगे और अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जोनल पुलिस महानिरीक्षक, सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी को भेजेंगे।

(d)जोनल पुलिस महानिरीक्षक उपरोक्तानुसार अपने जोन के प्रत्येक अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी का साक्षात्कार अपने समक्ष बुलाकर इस प्रकार करेंगे, ताकि प्रत्येक 04 माह में कम से कम एक बार प्रत्येक अधिकारी उनके समक्ष प्रस्तुत हो सके। जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्थ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक तथा सम्बन्धित अधिकारी को उसकी एक प्रति भेजेंगे।

(3) **<u>पुलिस अधीक्षक के कार्यों की समीक्षा</u>** :-

(a) परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रत्येक माह व जोनल पुलिस महानिरीक्षक प्रत्येक दो माह में एक बार पुलिस अधीक्षक के कार्य की समीक्षा **बिन्दु-बी** पर दर्शाये 27 प्रारूप के आधार पर करेगें और समीक्षात्मक आख्या अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ को भेजेंगे। इस आख्या की एक प्रति सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित की जायेगी।

(b) पुलिस महानिदेशक भी आवश्यकतानुसार **बिन्दु-सी** के 25 प्रारूप के अनुसार पुलिस अधीक्षक के कार्य की समीक्षा करेंगे।

(4) **<u>जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के कार्यों की समीक्षा :-</u>**

पुलिस महानिदेशक **बिन्दु-सी** के प्रारूप के आधार पर उनके कार्यो की समीक्षा करेंगे।

3. माह जून-2013 से संलग्नक नवीन प्रारूप की समीक्षा की जायेगी और निदेशानुसार आख्याएँ उचित स्तर पर प्रेषित की जायेगी।

4. उपरोक्त प्रारूपों की एक सी0डी0 भी भेजी जा रही है।

5. उक्त पत्र शासन से अनुमोदन की प्रत्याशा में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-यथोपरि(प्रारूप सी0डी0 सहित)।</u>

3/5/13

(अरूण कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक
(अपराध एवं कानून-व्यवस्था)
उ0प्र0, लखनऊ।

Ratnesh/S-4 folder/letter13